यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण सख्या : 21/2019

01. रामचन्द्र पुत्र बृजमोहन जाति माली निवासी महुआ तहसील मांगरोल हाल निवास नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां
02. लक्ष्मीबाई (नाबालिग)
03. राधा (नाबालिग)
04. मित्रता (नाबालिग)
05. सिद्धराज (नाबालिग)

पिसरान बृजमोहन जाति माली जर्ये वली माता स्वयं मोहनीबाई पत्नी बृजमोहन जाति माली निवासी महुआ तहसील मांगरोल

06. मोहनीबाई पत्नी बृजमोहन जाति माली निवासी महुआ तहसील मांगरोल हाल निवास नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां

प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. बृजमोहन पुत्र चतरा जाति माली निवासी महुआ तहसील मांगरोल हाल निवास नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता तहसील अन्ता
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 26.06.2019

निर्णय दिनांक : 09.03.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी कम 1 ता 5 का पिता व प्राथियां कम 6 का पति है। तथा प्रार्थी कम 2 ता 5 वर्तमान में नाबालिग है जिसकी वली संरक्षक माता प्रार्थीया कम 6 है जिसकी ओर से वाद/प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। यह कि ग्राम महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित आराजी खाता संख्या 21 खसरा नं. 736 रकबा 0.92 है0, खसरा नं. 864 रकबा 2.24 है0, खसरा नं. 1339 रकबा 0.65 है0, खसरा नं. 1358 रकबा 3.15 है0, खसरा नं. 1387 रकबा 0.65 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.61 है0 मे हिस्सा 5/36 व खाता संख्या 92 खसरा नं. 1210 रकबा 1.80 है0, खसरा नं. 1329 रकबा 1.81 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.61 है0 मे हिस्सा 5/24 में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 अप्रार्थी कम 1 का नाम बतोर शामलाती खाता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी को वाद/प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। यह कि उक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी कम 1 को उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुयी है इस कारण उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी व पैतृक आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का हक अधिकार जन्म से ही निहित है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत भी पैतृक व पुश्तैनी सम्पत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का हक व अधिकार जन्म से ही निहित होता है। यह कि विवादित आराजी अप्रार्थी कम 1 के नाम दर्ज होने से अप्रार्थी कम 1 उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जो नशे का आदी है जो शराब व नशीले पदार्थो का सेवन करता है तथा आराजी से प्राप्त मुनाफे व फसल को अपने नशे के शोक में पूरा कर देता है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है। कि उक्त वर्णित पैतृक व पुश्तेनी आराजी में अपने हक अधिकार की घोषणा करवाकर अपने हिस्से के खातेदार स्वयं घोषित करवाये। जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी व नालिसी है। यह कि अप्रार्थी कम 1 नशे का आदी होने से आये दिन उक्त आराजी का रहन रखकर अपने शोक पूरे करने वास्ते रूपये उधार लेता रहता है। तथा प्रार्थी कम 1 ता 5 जो वर्तमान में पढाई करते है उन पर किसी प्रकार का ध्यान नही देता है और प्रार्थीगण द्वारा पढाई व निजी आवश्यकता की वस्तुऐ मांगने पर लडाई झगडा करने पर आमदा रहता है इसलिए प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजी में पैतृक हिस्सा खाता संख्या 21 में हिस्सा 5/36 का 6/7 वा हिस्सा व खाता ग 92 हिस्सा 5/24 का हिस्सा 6/7 वा हिसर निहित है उस पर स्वयं को खातेदार घोषित वायें जिसके प्रार्थीगण कानूनन अधिकारी व नालिसी है। यदि अप्रार्थी कम 1 अपने हिस्से की आराजी । रहन बेचान करने में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपने हक अधिकार की आराजी से वंचित ोना पडेगा । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त विवादित आराजी में दर्ज अपने हिस्से को अप्रार्थी कम 1 रहन बेचान नही करे और राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 26.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में प्रथम दृष्टया मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति का अंतरीम स्थगन जारी किया गया साथ ही अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 उपस्थित हुआ। अप्रार्थी कम 1 द्वारा नियत समय में कोई जवाब पेश नही किया। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी कम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से एक पक्षीय बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकार ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात में किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द एवं रहन–बेचान करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजियात में रिकोर्डेड सह खातेदार है। प्रार्थीगण का विवदित आराजियात (पैतृक संपत्ति) में हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी के विवदित आराजियात में हक अधिकार की घोषणा मूल वाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थी को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। प्रार्थी के पैतृक संपत्ति में हक–हिस्से/अधिकारों एवं अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी होने के कारण यदि विवादित आराजियात का रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थी जो कि अप्रार्थी कम 1 का विधिक वारिस है, को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, एक पक्षीय बहस वकील , राजस्व रिकोर्ड एवं उक्त तीनो बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी कम 1 उक्त वर्णित आराजी खाता संख्या 21 एवं खाता संख्या 92 में प्रार्थीगण के हक हिस्से को रहन बेचान न करे ना ही अन्य प्रकार से स्थानांतरित करे। रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल, जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner